उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या- 3/2019/402/94-स्टा०नि०-2-2019-700(474)2017

लखनऊ : दिनांक 31 मई 2019

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल दिनांक 23 मार्च, 2018 से सरकारी अधिसूचना संख्या-06/2018/341/स्टा०नि०-2-2018-700(474)/2017, दिनांक 23 मार्च, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, प्रथम पैरा में, शब्द ''विद्युत उत्पादन हेतु'' के स्थान पर शब्द '' सभी प्रकार के जैव ईंधन (बायो कोल-पैलेट्स, ब्रिकेट्स, बायो डीजल, बायो एथेनाल, मेथेनाल, बायोगैस, सी०एन०जी० तथा ड्राप इन फ्यूल) से सम्बन्धित'' रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

हिमांशु कुमार,

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- **यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

संख्या- 3/ 2019/402/94-स्टा०नि०-2-2019-700(474)/2017, दिनांक 31 मई, 2019

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 31-05-2019 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की सौ प्रतियॉ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

लालू,
संयुक्त सचिव।

संख्या- 3/2019/402/94-स्टा०नि०-2-2019-700(474)/2017, दिनांक 31 मई, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(2) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) आयुक्त स्टाम्प/महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(7) सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
(8) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(9) समस्त उपायुक्त स्टाम्प/उप महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
(10) समस्त सहायक आयुक्त स्टाम्प/सहायक महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
(11) विधायी अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।
(12) भाषा अनुभाग-5 उत्तर प्रदेश शासन।
(13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
लालू,
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- **यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

UTTAR PRADESH SHASAN
STAMP EVAM REGISTRATION ANUBHAG-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 3/2019/402/94-S.R.-2-2019-700 (474)/2017, Dated, 31 May, 2019

Notification

Order

No. 3/2019/402/94-S.R.-2-2019-700 (474)/2017
Lucknow Dated, 31 May, 2019

In exercise of the power under clause (a) of sub section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897), the Governor is pleased to make the following amendment in the Government Notification No. 06/2018/341/94-S.R.-2-2018-700(474)/2017, dated 23 March, 2018 from 23 March, 2018:-

AMENDMENT

In the aforesaid notification, in the First Para, for the words "to produce electricity", the words "related to all kinds of biofuels (bio-coal palates, brickets, bio-diesels, bio-ethanol, methanol, biogas, bio c.n.g. and drop in fuel)" shall be substituted.

By order

Himanshu Kumar,
Pramukh Sachiv

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।